Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

विपक्ष की अमर्यादित राजनीति

Edited by

Adarsh Tiwari

&

Abhay Singh

Research Associate,

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Research Assistance

Chandan Kumar

&

Govind Singh

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Layout by

Ajit Kumar Singh

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

Phone:011-23005850

भूमिका

भारतीय राजनीति में आरोप–प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, किन्तु पिछले पांच वर्षों में जिस तरह की राजनीति देश ने देखी है, वह अप्रत्याशित थी. इन पांच सालों में विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से नकारात्मक रही है. कई ऐसे अवसर आए जब समूचे देश का एक साथ खड़ा होना आवश्यक था, किन्तु दुर्भाग्यवश विपक्षी दल यहाँ भी 'विरोध के लिए विरोध' की अपनी निकृष्ट राजनीति से बाज नहीं आए. यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामले पर भी विपक्ष की ओछी राजनीति देश देख चुका है. इसे नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता ही कहेंगे कि इन पांच वर्षों में विपक्ष मुद्दाविहीन रहा अथवा ऐसे मुद्दों को उठाया जिनपर उसे खुद सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ा. लेकिन, इस बात की खीझ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने संवैधानिक संस्थाओं पर उतारकर शुरू किया और एक–एक करके भारतीय सेना के साथ–साथ न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर भी विपक्षी दलों ने उंगली उठाने में हिचक नहीं दिखाई. इस आचरण के जरिये इन दलों ने राजनीतिक शुचिता का हनन किया है. इसके इतर देश का एक तथाकथित बौद्धिक वर्ग यह मनगढ़ंत धारणा स्थापित करने का प्रयास करता रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है. ऐसे में, इतिहास से लेकर वर्तमान तक कांग्रेस ने किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का कार्य किया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उन प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालना जरूरी हो जाता है. ऐसी ही घटनाओं को केंद्र में रखते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा इस ई-पुस्तिका को तैयार किया गया है. इस पुस्तिका के द्वारा पाठक आसानी से कांग्रेस के मूल चरित्र को समझ सकते हैं.

शिवानन्द द्विवेदी
सीनियर रिसर्च फेलो,
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विपक्ष का हमला

- न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसका सभी सम्मान करते हैं और इसकी स्वतंत्रता को बनाये रखने की जरूरत है. लेकिन दुर्भाग्यवश देश पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि वह हमेशा खुद को सर्वोपरि समझती है. इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तब तो मनमानी करती ही है. परन्तु विपक्ष में रहने पर भी वह साम, दाम, दंडभेद के जरिए सत्ता हासिल करने की जुगत में लगी रहती है. कांग्रेस अपने फायदे के लिए संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने में भी नहीं चुकती है. इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सवा सौ करोड़ नागरिकों के सबसे बड़े न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने का काम कुछ

महीने पहले किया था. कांग्रेस पार्टी ने बार-बार संस्थागत बाधा डालने वाली भूमिका निभायी और इसपर ओछी राजनीति करने का प्रयास किया है. कानून के शासन को वंशवाद के शासन के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है. ज्ञातव्य हो कि कांग्रेस द्वारा सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाना किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि न्याय देने वाली देश की सर्वोच्च संस्था पर आघात था. लेकिन सुप्रीमकोर्ट द्वारा इस संबंध में नोटिस अस्वीकार किया जाना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी को कानून का कोई ज्ञान नहीं है. बल्कि कांग्रेस इस महाभियोग के माध्यम से सिर्फ यह अंदाजा लगा रही थी कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं?

- गौरतलब है कि इंदिरा गांधी पर 1975 में चुनावों में नियमों का उल्लंघन करने के कारण उनपर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया था और सुप्रीमकोर्ट में अपील करने के लिए उन्हें 14 दिन का वक्त दिया गया था. लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता जाने के डर के कारण अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बजाय आपातकाल की घोषणा करवा दी थी और सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली थी. बिना किसी अदालती कार्यवाही के संसद से विपक्षी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया था और एक लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था.
- उसी तरह धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आता है, लेकिन कांग्रेस द्वारा इसका दुरुपयोग करने का भी लंबा इतिहास रहा है.
- हमारे देश में अब तक 124 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं, इनमें से आठ बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में लगाया गया तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. 1980 में तो केवल तीन दिनों के भीतर ही नौ राज्यों में बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया था.
- ये तथ्य दर्शाते हैं कि कांग्रेस सत्ता की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है. गौरतलब है कि देश चलाने के लिए संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संवैधानिक तौर तरीकों का उपहास किया है.
- अप्रसांगिकता के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने जब यह देखा कि चुनाव आयोग समेत कई स्वायत्त संस्थाओं पर हमले के बावजूद उसको पराजय का सामना करना पड़ रहा है, तो उसने सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लाकर अपनी वैचारिक हार का बदला लेने का कुत्सित प्रयास किया.
- कांग्रेस पार्टी द्वारा सबसे पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता पर प्रहार जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था. जब प्रमुख न्यायाधीश हरीलाल कानिया की मृत्यु 6 नवंबर 1951 को पद पर रहते हुए हो गई थी और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश पंतजलि शास्त्री को प्रधानमंत्री नेहरू मुख्य न्यायाधीश नहीं

बनाना चहते थे. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री नेहरू को इस्तीफा देने की धमकी दी तब जाकर नेहरू पीछे हटे थे और पंतजलि शास्त्री को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था.

- जवाहरलाल नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को संविधान सभा में न्यायपालिका पर चर्चा के दौरान कहा था कि देश की संसद को ही सारे कानून बनाने के अधिकार हैं और सर्वोच्च न्यायालय को संसद के मत के अनुसार ही चलना होगा. यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी उस समय से ही खुद को सर्वेसर्वा समझती रही है और न्यायपालिका का उपहास करती रही है.
- गौरतलब है कि रही सही कसर उनकी बेटी और प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी. सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने अपनी मनपसंद के न्यायाधीश ए एन रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया था. हुआ यह था कि ए एन रे उन 13 न्यायाधीशों की संविधानपीठ के सदस्य रहे थे जिसने केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 को संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति वापस की थी. इस मामले में निर्णय आने के एक दिन बाद ही ए एन रे को तीन वरिष्ठ न्यायधीशों को नजरदांज करते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया था.
- इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 29 जनवरी 1977 को न्यायाधीश एम.एच.बेग को वरिष्ठ न्यायाधीश एच आर खन्ना को नजरदांज करके मुख्य न्यायाधीश बनाया था. गौरतलब है कि न्यायाधीश एच आर खन्ना को इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने जबलपुर एडीएम के मामले में 28 अप्रैल 1976 को यह फैसला दिया था कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है. यह सभी स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के हितों को साधने का काम किया है और इसके अतिरिक्त उसका कोई भी उद्देश्य नहीं था.

सेना के पराक्रम पर संदेह

- पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों की शहादत का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था तब सारा देश एकजुट था. लेकिन कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कांग्रेसी मानसिकता का परिचय देते हुए कहा कि **'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई देश होता है.'**
- ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथग्रहण में शामिल हुए थे और वहाँ के आर्मी चीफ़ बाजवा को गले लगाकर शांति का दूत बता रहे थे और इमरान खान पर बयान दिया था कि **'कुछ लोगों के लिए क्या आप पूरे देश को जिम्मेदार ठहरा सकते है और क्या आप किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हो?'**
- सिद्धू ने आतंकी संगठन जैश पर वायुसेना की कार्यवाई के बाद ट्वीट किया कि वहां पर 300 आतंकी मारे गए हैं या नहीं. अगर नहीं तो इसका क्या मकसद था? क्या सिर्फ पेड़ उखाड़ने ही गए थे. नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि क्या वहां आतंकी मारने गए थे या फिर पेड़ उखाड़ने गए थे.' यह दर्शाता है कि काँग्रेस पर किस कदर राजनीतिक लोभ हावी है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी महज चुनावी लाभ के हिसाब से तौलती है.
- दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने अपने एक बयान में देश के थलसेना प्रमुख को **सड़क का गुंडा** कह दिया था. देश के रखवालों के प्रति काँग्रेस की इस सोच से ही स्पष्ट है कि उन्हें देश की कितनी चिंता है?
- कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक अभिषेक मनु सिंघवी ने पुलवामा हमले के बाद एकजुटता दिखाने की बजाय कहा कि **'सुरक्षा में हुई इस लापरवाही की जिम्मेदार मोदी सरकार है.'**
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलवामा हमले पर संवेदनहीनता का परिचय देते हुए कहा कि **'यह हमला आम चुनावों से कुछ दिन पहले ही क्यों हुआ? पुलवामा हमले के बाद भी जब वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया था तब ममता बनर्जी ने आतंकियों के मारे जाने का सबूत मांगा था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एयरस्ट्राइक से कोई नुकसान न होने की खबर आ रही है, ऐसे में पीएम मोदी विपक्ष को बताएं कि कहां बम गिराए गए और कितने आतंकी मारे गए.**
- राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानन्द तिवारी ने भी मोदी सरकार और भाजपा पर सैनिकों के बलिदान पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि **'नरेन्द्र मोदी, जो गोलवलकर को अपना आदर्श मानते हैं और गोलवलकर तो मुस्लिम, क्रिस्चियन और कम्युनिस्टों को हिन्दू राष्ट्र के**

दुश्मन के रूप में देखते थे. हम सभी जानते है कि कम्युनिस्टों के साथ क्या हुआ अब ये लोग मुस्लिमों को अपना निशाना बना रहे है.'

- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि 'अगर अजीत डोवाल से पूछताछ की जाए तो पुलवामा हमले का सच सामने आ जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि **'पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ के जवान राजनीतिक साज़िश के शिकार हुए है.'**
- उत्तर प्रदेश के रामपुर से काँग्रेस की पूर्व सांसद नूर बानो ने पुलवामा हमले पर कहा था कि **'सेना और गृह मंत्रालय इस हमले के लिए जिम्मेदार है. उन्हें इस हमले की पूर्व जानकारी थी तो वो इसको रोकने में सफल क्यों नहीं हो पाए.'**
- कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सबूत माँगा था. दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान की तारीफ़ करते हुए शांति के पहल पर उनको धन्यवाद कहा था. उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा झूठा उन्होंने नहीं देखा.
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलवामा हमले के बाद कहा था कि **300 सीटें जितने के लिए जवान शहीद करवाओगे, कितनी बहनों को विधवा करवाओगे? क्या इसलिए भारत पाकिस्तान सीमा पर तुमने यह सब कराया है? बीजेपी लाशें गिन रही है.'** गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह बयान पाकिस्तान ने हाथों-हाथ लिया है और पाकिस्तानी मीडिया और राजनेता इसी बयान को लेकर देश पर हमला बोल रहे हैं. इस घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि विपक्षी पार्टियों के बयान के आधार पर ही पाकिस्तान हमें अपने आप को पाक साफ बता रहा है. यह दिखाता है कि इन विपक्षी दलों के लिए देश बाद में आता है पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आती हैं.
- (रिसर्च एंड एनैलिसिस विंग) रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत ने भारतीय वायुसेना द्वारा एयरस्ट्राइक पर कहा है कि **'राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. इस पर सबूत मांगना कि कितने आतंकी मरे हैं यह देश की सेना पर सवाल खड़े करने जैसा है. इस पर यह तथ्य ही काफी है कि आतंकवादी मारे गए. एयरफोर्स के हमले में हुए नुकसान के सबूत सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान भी मानता है कि हमला हुआ है, उसके एयरस्पेस का उल्लंघन किया गया है. फिर सवाल कैसा?'**
- एयरफोर्स द्वारा बालाकोट में एयरस्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए और कहा कि इसपर सैटेलाइट की तस्वीरें जारी करनी चाहिए जिससे पता चले कि आखिर हमला हुआ कहाँ है? वहीँ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी पीएम मोदी से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की उन ख़बरों पर बोलने को कहा **'जिसमें कहा जा रहा है कि बालाकोट में हुई एयरस्ट्राइक में शायद ही किसी की मौत हुई हो.'** कांग्रेस पार्टी के इन वक्तव्यों से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने के ये नेता पाकिस्तान तक को समर्थन देते हैं और उन्हें शांति का दूत बनाते हैं.

- वरिष्ठ कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले को 'दुर्घटना' बताया. ज्ञातव्य हो कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कभी आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं तो कभी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं.
- पुलवामा आतंकी हमला के बाद भारत द्वारा किए गए एयरस्ट्राइक पर जहां कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सबूत मांग रहा है. वहीं कांग्रेस के बड़े नेता बीके हरिप्रसाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमला पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग का नतीजा बताया है.
- यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अपने वोटबैंक के लिए देश की सेना का भी राजनीतिकरण करने से गुरेज नहीं करती है. यूपीए सरकार के समय आर्मी चीफ को किस तरह से आड़े हाथों लेकर सेना को राजनीति में घसीटा गया, वह सभी को पता है. यहाँ तक कि जब हमारे वीर जवानों ने पकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे निहत्थे जवानों की हत्या का बदला लेने का साहसी काम किया था तो कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग कर हमारे जवानों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था.
- सत्ता में रहते हुए आतंकवाद पर ढुलमुल रवैया अपनाने वाली कांग्रेस आज विपक्ष में रहकर देश के साथ खड़े होने की बजाय आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद की पीठ सहलाने का काम कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी के आतंकवादियों के प्रति प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आतंकी मसूद अजहर को 'जी' कहकर संबोधित किया है. गौरतलब है कि कांग्रेस का आतंकियों के प्रति प्रेम 2008 में हुए बाटला हाउस मामले से उजागर हो जाता है. जब एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी फूट-फूट कर रोई थीं और आज जब मोदी सरकार आतंकियों और नक्सलियों पर प्रहार कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है.
- आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ विश्वास की नजर से देख रही है और मजबूती से देश के साथ खड़ी है. तब कांग्रेस पार्टी अपने बयानों के माध्यम से आतंक समर्थित ऐसे देशों के साथ खड़ी है जो भारत को मजबूत होते नहीं देख सकते हैं. ज्ञातव्य हो कि हाल ही में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया जाना महत्वपूर्ण है. क्योंकि इससे पूर्व इस प्रस्ताव को सिर्फ भारत संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखता था और हर बार की तरह इस बार भी चीन ने वीटो कर मसूद अजहर को बचाने का काम किया है. लेकिन इसपर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस जैसे दलों को बताना चाहिए कि क्या जवाहरलाल नेहरू द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता चीन को भेंट नहीं की गयी थी. जिस कारण आज वह वीटो का इस्तेमाल कर हर बार भारत के खिलाफ खड़ा रहता है और आतंक सरीखे महत्वपूर्ण विषयों पर अन्य देशों के समर्थन के बावजूद चीन हमेशा इसमें अड़ंगा लगाता है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी

- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निरंतर झूठे आरोप लगा रहे हैं और उनपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं. भले ही इस मामले में तथ्य के नाम पर देश के समक्ष वे कुछ भी ठोस रखने में नाकाम रहे हों, लेकिन भाषाई अभद्रता की सभी सीमाएं उन्होंने जरूर लांघ दी हैं. वे अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री के लिए **'चौकीदार चोर है'** जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं.
- राजनीति में यह नैतिक शिष्टाचार है कि अपनों से बड़ों को सम्मान सहित नाम लिया जाए, संवैधानिक पद की मर्यादा का पालन किया जाए. लेकिन राहुल गांधी ने भाषाई मर्यादा लांघ दी है और वह देश के प्रधानमंत्री के लिए **'तू-तड़ाक'** पर उतारू हो गए हैं.
- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने शासनकाल की अंतिम प्रेसवार्ता में कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए **'विनाशकारी'** होगा.

- कुछ महीनों पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी मनमोहन सिंह ने कहा था कि **''भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना नीचे तक नहीं गिरा, जितना नरेंद्र मोदी गिर गए हैं.''**
- 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता विलास मुटेमवर ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि **'प्रधानमंत्री बनने के पहले कौन जानता था मोदी को और इसके बाप का नाम कोई नहीं जानता? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के बारे में सब जानते हैं.'**
- इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए थे.
- कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव में कहा था कि **मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है.'**
- 2014 में आमचुनावों के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि **'मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर वो यहां आकर चाय बेचना चाहते हैं, तो हम उन्हें इसके लिए जगह दिला सकते हैं.'**
- 2015 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि **'भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए मोदी को हटाना होगा, नहीं तो वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी.'**
- मार्च 2013 में मणिशंकर अय्यर ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा था कि **'मोदी एक सांप हैं, बिच्छू हैं.'**
- प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें **मौत का सौदागर** कहा था.
- उत्तरप्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 2014 चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और कहा था कि उनकी बोटी-बोटी काट देंगे.
- प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित 'चलो जीते हैं' फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य नेता संजय निरूपम ने कहा था कि जो बच्चे स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको मोदी जैसे अनपढ़ गंवार के बारे में जानकर क्या मिलने वाला है. पीएम मोदी से स्कूल के बच्चे कुछ नहीं सीख सकते हैं.
- पुलवामा हमले के तुरंत बाद ही सऊदी अरब के राजकुमार की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि **''सत्ता की भूख में प्रधानमंत्री अपना राजधर्म भूल गये हैं.''**
- आंध्रप्रदेश की सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिसंबर 2018 में एक प्रेसवार्ता में प्रधानमंत्री मोदी को 'ब्लैकमेलर' कहा था. इसके अलावा व्यक्तिगत

हमले करते हुए कहा कि, **'मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और उनका कोई परिवार नहीं है.'**

- कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की और डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृद्ध माता की उम्र से तुलना कर दी थी.
- मुंबई में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि **'तुम इतने बड़े नालायक हो कि अपनी 90 साल की माँ को एटीएम की लाइन में लगा देते हो.'**
- कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने 27 नवम्बर 2017 को कहा था कि **"प्रधानमंत्री एक अस्वस्थ मानसिकता से गुजर रहे हैं, जो कि एक राष्ट्रीय मसला है."**
- आरजेडी नेता लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की छवि हमेशा से संदिग्ध रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा था कि,**'नरेंद्र मोदी जी की खाल उधड़वा देंगे.'**
- आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में देश के पीएम को यह कहकर धमकाया कि, **"बिहार में नरेंद्र मोदी का हाथ और गला काटने वाले भी बहुत लोग हैं."**
- प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि **''प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं. भगवान उन्हें उनकी गलतियों को स्वीकारने और उसे ठीक करने की बुद्धि दे.''**
- उरी हमले के बाद सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने एक सभा में पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी की थी **''जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप उनके खून के पीछे छिपे हुए हो. आप उनकी दलाली कर रहे हो.''** यह वही राहुल गांधी हैं जो मुंबई में जब 26/11 की घटना हुई थी उसके चंद दिनों के भीतर ही राजधानी दिल्ली में सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे और अब सेना के साथ खड़े होने का दंभ भर रहे हैं.
- कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने देश के प्रधानमंत्री को **"मोस्ट स्टुपिड पीएम कहा था.''**
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ओछी जुबान से अबतक राजनीति को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे देश की छवि बहुत खराब हुई है. प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदार नीतियों से वह इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने कहा था, **"मोदी कायर और मनोरोगी हैं."**
- पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को **'बेशर्म तानाशाह कहकर संबोधित किया था.'**
- राहुल गाँधी ने 22 फरवरी 2019 को अपने ट्विटर पर लिखा कि **"पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के तीन घंटे बाद भी 'प्राइम**

टाइम मिनिस्टर' फिल्म शूटिंग करते रहे. देश के दिलों और शहीदों के घरों में दर्द का दरिया उमड़ा था और वे हंसते हुए दरिया में फोटोशूट पर थे.'' जबकि कांग्रेस अध्यक्ष का यह ट्वीट झूठ पर आधारित था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा पुलवामा हमले से पहले का था. जिसे कांग्रेस अध्यक्ष साझा कर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे थे.

- एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के लिए नोटबंदी के बाद कहा कि **"आप फकीर नहीं हैं, आप तो जालिम हैं."**
- बीएसपी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने नोटबंदी के दौरान पीएम मोदी को **'यमराज'** की संज्ञा दी थी.
- सपा नेता आजम खान ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पर बयान में कहा कि **''वो 131 करोड़ का बादशाह है, रावण जलाने लखनऊ जाता है लेकिन ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है."**
- कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नोटबंदी के विरोध के नाम पर अपने ही देश के प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह से कर दी थी और कहा कि **'दुनिया के किसी भी विकसित देश ने आज तक ऐसा फैसला नहीं लिया. जिन लोगों ने ऐसा किया उनमें गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर हैं. चौथा नाम है नरेंद्र मोदी.'**
- **कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 13 जून,2013 को वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भस्मासुर कहा था.**
- कांग्रेस नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने 14 जुलाई, 2013 को वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुआ कहा था कि **''लोकतंत्र के मंदिर को किसी पागल कुत्ते से प्रदूषित न होने दें.**
- कांग्रेसी नेता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 17 अगस्त 2013 को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी पर कहा था कि, **''राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना कहां है.''**
- तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पर मेंअमर्यादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, **"मोदी चूहे के बच्चे की तरह गुजरात में अपने बिल में घुस जाएंगे."**
- कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 2013 में तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना डॉन दाऊद इब्राहम से की थी.
- कांग्रेस नेता रिजवान उस्मानी ने 2009 के आमचुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी पर व्यतिगत टिप्पणी कि और पूछा कि **''इसका बाप कौन है? इसकी मां कौन है?''**
- महाराष्ट्र के सोलापुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस की विधायक प्रनिती शिंदे ने 2018 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि **''हमारे देश में एक नया डेंगू मच्छर आया है जिसे मोदी बाबा कहते हैं. सभी इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं. तो तुम सब जो कर सकते हो करो कीटनाशकों**

का छिड़काव करो और अबकी बार सत्ता से इसे बहार निकालो.''

- 28 अक्टूबर, 2018 को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि **नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह है जिसे आप अपने हाथों से हटा नहीं सकते और उसे चप्पल से मार भी नहीं सकते.**
- नवम्बर, 2018 को शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि **यदि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है तो कांग्रेस की वजह से है.**
- 9 नवम्बर 2018 को महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने कहा कि **'कांग्रेस को हर बुराई की जड़ बताने वाले कल को ये न बोल दें कि नरेंद्र मोदी की पैदाइश भी कांग्रेस की वजह से ही हुई है, क्योंकि मोदी से बुरा आदमी इस देश में कोई नहीं.'**
- 4 अक्टूबर, 2015 को एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लिए दरिंदा, शैतान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था.
- 9 नवम्बर, 2018 को कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री टी बी जयचंद्र ने नोटबंदी का हवाला देते हुए **प्रधानमन्त्री मोदी को जिंदा जला देने की बात कही थी.**
- 25 अक्टूबर, 2018 को पटना के गाँधी मैदान में कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री को अपने भाषण में **नमक हराम** कहकर संबोधित किया था.
- गोवा कांग्रेस के नेता चेलाकुमार ने पुलवामा हमले के बाद कहा था कि **'लोग अब पागल नहीं हैं. यह (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) आदमी किसी भी हद तक जा सकता है सभी जवानों के शव तो बरामद हो गए हैं, लेकिन आतंकवादियों के शव कहाँ हैं.'**
- वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री को आतंकवाद की राजनीति करने वाला बताया है. अब क्या आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करना राजनीति का विषय है या देश की सुरक्षा का विषय है?
- तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नेत्री विजयाशांति ने तेलंगाना के शमशाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि **हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि किस क्षण मोदी बम गिरा देंगे. वह एक आतंकवादी की तरह दिखता है.**

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर विपक्ष ने उठाए सवाल

Credit: www.elections.in

- राहुल गाँधी को देश की जनता द्वारा पूरी तरह से नकारे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने आका की साख को बचाने के लिए ईवीएम की तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगा कर चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था को ही शक के घेरे में लाने की नाकाम कोशिश की है. मजे की बात यह है कि जब भाजपा और राजग को कुछ राज्यों में पराजय मिली तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा. अतः ईवीएम पर चयनात्मक प्रश्न उठाना सिर्फ चुनाव आयोग को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कमजोर करना ही था.
- समय और प्रसंग बदलता है परन्तु कांग्रेस पार्टी का जनतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर गांधी

परिवार के स्वार्थ को बचाने का प्रयास जारी रहता है. भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास का काला दिन 25 जून, 1975 किसे नहीं याद होगा जब देश की सभी संस्थाओं को बंधक बना कर देश में आपातकाल लागू किया गया था.

- कांग्रेस पार्टी की ही सहयोगी दल नेशनल कांफ्रेंस के चेयरमैन फारुख अब्दुल्ला ने भी चुनावी हार के बाद ईवीएम को चोर मशीन कहा था.
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंधवी ने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि दुनिया में केवल कुछ ही देश हैं जो ईवीएम का उपयोग करते हैं, चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है. यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी हार की हताशा को दूर करने के लिए चुनाव आयोग पर न सिर्फ सवाल खड़े कर रही है बल्कि वह चुनाव आयोग को सीख भी दे रही है कि आखिर उसे काम कैसे करना है.
- वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लंदन जाकर भारतीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाया. एक अज्ञात तथाकथित साइबर एक्सपर्ट जिसकी पहचान सैयद शुजा के रूप में उजागर हुई, उसने एक लाइव विडियो कांफ्रेंस में कहा कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया. लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण और साक्ष्य नहीं दिया तथा उस व्यक्ति कि विश्वसनीयता भी संदेहात्मक है. लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा ऐसे संदेहात्मक व्यक्ति को सच मानकर देश के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना शर्मनाक है.
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने 2 जून 2018 को इवीएम पर सवाल उठाने वालों पर कहा था कि ईवीएम को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को जब चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ता है तब किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत होती है और अब राजनीतिक दल इवीएम पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं.
- ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पहले यदा-कदा ही उठती थी लेकिन लगातार हार से सदमे के कारण विपक्षी दलों ने इसे बस चुनावी हार के बाद कारण के रूप में व्यक्त करने का जरिया बना रखा है.
- ज्ञातव्य हो कि 2017 में जब पांच राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और बसपा को करारी शिकस्त मिली तो बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम पर हमला बोला था. जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में बाकायदा डेमो के जरिए इस झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है. लेकिन जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चैलेंज किया कि ईवीएम को हैक करके दिखाएं तब कोई भी राजनीतिक दल आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. जो यह साबित करता है कि यह विपक्षी दल सिर्फ चुनाव हार के बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और उनके निर्णय

का अपमान करते हैं.

- 70 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र यदि परिपक्व हुआ है और दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश की सराहना हुई है तो उसका श्रेय निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षतापूर्वक चुनाव संचालन की कुशलता को ही जाता है. जब-जब राजनैतिक दल चुनाव हारते हैं तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनी दलीय लाभ हानि के नजरिए से देखकर लोकतंत्र ही नहीं देश की जनता को अपमानित करते हैं. भारतीय लोकतंत्र को यदि हिंसा मुक्त करने और प्रामाणिक नतीजे देने के लिए किसी चीज की सराहना होनी चाहिए तो वह ईवीएम मशीनों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की होनी चाहिए.
- ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अग्रणी पंक्ति में आते हैं. पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्हें 67 सीटें ईवीएम की खराबी के कारण ही मिली थीं ? लेकिन विडंबना यह है कि लम्बे समय से ईवीएम के जरिये ही हुए चुनावों में जीतकर देश पर शासन करने वाली कांग्रेस अब अपने राजनीतिक दुर्दशा के दौर में पहुंचकर ईवीएम में खराबी का राग आलाप रही है.

आरबीआई और कैग पर कांग्रेस का प्रहार

- मोदी सरकार पर आरबीआई के अधिकारों में दखल देने और उस पर कब्जा करने का आरोप लगातार विपक्ष द्वारा लगाया जाता रहा है और इसमें कांग्रेस मुख्य रूप से मोदी सरकार पर हमलावर रही है. लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इस दल ने कैसे लोकतंत्र का गला निरंतर अपनी सरकारों के दौरान घोटा था वह उसपर निरंतर मौन साध लेती है.
- आरबीआई की ही बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण आरबीआई के चौथे गवर्नर रहे रामाराव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. यह विवाद बजट के एक प्रस्ताव को लेकर हुआ था. उस विवाद में नेहरू ने तत्कालीन वित्तमंत्री टीटी कृष्णनमाचारी का पक्ष लिया था और साफ किया था कि आरबीआई सरकार की ही विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा है. जनवरी 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा था कि **आरबीआई का काम सरकार को सलाह देना है, लेकिन उसे सरकार की लाइन पर ही रहना है. नेहरू ने यह भी सुझाव दिया था कि अगर राव चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं. जिसके कुछ दिन बाद ही आरबीआई चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.**
- बहरहाल, ना सिर्फ आरबीआई बल्कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कैग) पर भी कांग्रेस पार्टी ने उंगली उठाकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ने और उनकी गरिमा को गिराने का कार्य किया है.
- कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा वर्तमान कैग प्रमुख राजीव महर्षि को कठघरे में खड़ा किया जाना भी कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश करने का उपयुक्त उदाहरण है.

राम मंदिर पर कांग्रेस का दोहरा रवैया

- भारत के स्वाभिमान और हिंदू आस्था से जुड़े राम मंदिर निर्माण का मुद्दा निरंतर देश में चर्चा के केंद्र में बना रहता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा था कि **वह राम मंदिर निर्माण के मसले पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं, यदि दोनों पक्ष न्यायालय के बाहर सहमति बनाने को राजी हों.**
- लेकिन राममंदिर मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल तो इसपर तुले हुए हैं कि अदालत इस मामले की सुनवाई को 2019 लोकसभा चुनाव तक टाल दे क्योंकि इसपर राजनीति हो सकती है.
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक कार्यक्रम के संबोधन में भगवान राम के जन्म लेने के दावों पर ही सवाल उठा दिया था. उन्होंने कहा कि दशरथ के महल में 10000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा हुए भगवान राम कोई नहीं जानता, फिर कैसे कह सकते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे?
- चेन्नई में आयोजित 'द हिंदू लिट फॉर लाइफ़ डायलॉग 2018' में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हिन्दू धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान श्रीराम मन्दिर के संदर्भ में दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित स्थान पर राम मन्दिर नहीं चाहेगा. शशि थरूर के मुताबिक़, हिन्दू लोग अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं. इसलिए कोई भी अच्छा व्यक्ति दूसरों के ढहाए गए पूजा स्थल पर राम मन्दिर का निर्माण नहीं चाहेगा.
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि भगवान राम खुद नहीं चाहेंगे कि किसी विवादित स्थल पर उनका मंदिर बने.
- राम मन्दिर पर कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई स्पष्ट मत नहीं है. हैरान होने वाली बात यह है कि कांग्रेस जब भी राम मन्दिर की बात करती है तो इसके विरोध में ही करती है. कांग्रेस पार्टी का राममंदिर विरोध सबके समक्ष हैं. **खुद को जनेउधारी ब्राह्मण बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव आते ही कैसे मंदिरों में जाने लगते हैं जबकि उनके खुद के पार्टी नेता निरंतर भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताते हैं और राममंदिर का विरोध करते हैं.**

तीन तलाक पर कांग्रेस का असल चरित्र हुआ उजागर

- खुद को मुस्लिम पार्टी बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि **क्या उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या मुस्लिम महिलाओं की भी पार्टी है? क्योंकि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं क्या उन्हें तीन तलाक पर मोदी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए था.**
- मोदी सरकार ने जब मुस्लिम महिलाओं पर तीन तलाक जैसी कुप्रथा पर कानून लायी तो सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया. ज्ञातव्य हो कि इस कुप्रथा के चलते दश में हर साल अनगिनत मुस्लिम महिलाओं का जीवन बरबाद हो जाता है.
- इस्लाम की यह कुप्रथा यहीं पर खत्म नहीं होती, तीन तलाक के बाद बेसहारा हुई महिला को हलाला नामक एक और अमानवीय रिवाज के जरिये परिवार में वापस लाया जाता है जो कि मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का क्रूरतम उदाहरण है.
- कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने **धार्मिक मामले की दुहाई देते हुए इसमें हस्तक्षेप ना करने की गुहार लगाई.** पांच बच्चों की मां शाहबानो को उम्र के लगभग आखिरी पड़ाव में तलाक दिया गया था. तीन शब्दों ने उन्हें सड़क पर पहुंचा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर फैसला लिया था. तलाक देने वाले शौहर से शाहबानो को गुजारा भत्ता देने को कहा गया था.
- लेकिन इसके बाद तो सियासी हलकों में ऐसा लगा जैसे धर्मनिरपेक्षता पर कहर टूट पड़ा हो. कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार प्रचंड बहुमत में थी. राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे. उन्होंने इस बहुमत के बल पर न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी करके ही दम लिया.
- इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ द्वारा की जा रही सुनवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता और कांग्रेस के कपिल सिब्बल इन कुप्रथाओं को सही ठहराने के लिए यह तर्क देते हैं कि जो प्रथा पंद्रह सौ वर्षों से चली आ रही है, वह असंवैधानिक नहीं हो सकती है.

नोटबंदी का अनावश्यक विरोध

- नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के आम जनमानस ने इस तथ्य को स्वीकारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला एक साहसिक, ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसला था.
- इस फैसले के फायदे अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं. कालेधन के कारोबारियों पर बड़ी चोट पहुंची है. कालेधन के कुबेरों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. भारत में डिजीटल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर यह है कि नकद जीडीपी अनुपात 12 फीसदी से घटकर 9 फीसदी तक आ गई है.
- लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि होता है, नोटबंदी के बाद हुए चुनाव में जनता ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया था कि वह काले धन के खिलाफ लड़ाई में किसके पक्ष में खड़ी है. लेकिन नोटबंदी को लेकर विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया रहा है वह आज भी कायम है.
- माकपा नेता वृंदा करात ने नोटबंदी पर कहा था कि **भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार अपने नागरिकों की मौत और परेशानियों का जश्न मना रही है.**

जबकि यह तथ्य सबके सामने है कि जनता ने सरकार के इस फैसले का खुलकर समर्थन किया और उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजे इस बात को पुख्ता करते हैं.

- कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि, **नोटबंदी एवं जीएसटी का प्रभाव अब पूरे देश में महसूस किया जा रहा है. इसके कारण न केवल भारत की विकास गाथा थम गई है बल्कि लाखों लोग रोजगारहीन हो गए.** इस बयान की सच्चाई को परखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे आईएमएफ़ और विश्व बैंक के बयानों पर गौर करने की आवश्यकता है जिसमें नोटबंदी जैसे सराहनीय कदम की प्रशंसा की गयी है.
- सुरजेवाला ने कहा कि **इसके लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए. अच्छा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली देश से माफी मांगते कि उनसे गलती हो गई है और वे इसकी जांच कराएगे. माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता. किन्तु वे सत्ता के अहंकार में इतने चूर हैं कि वह कभी ऐसा नहीं करेंगे.** लेकिन यह जगजाहिर है कि अबतक सत्ता का नशा किस पर चढ़ा हुआ था और किसने देश के विकास के आगे परिवार के विकास को सर्वोच्च रखा.
- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत में कहा कि **नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी ने सूरत उद्योग की टांग तोड़ दी. इन दो झटकों से पूरे देश में उद्योग समाप्त हो गया है.** ज्ञातव्य हो कि यह वही सूरत है जहां के व्यापारियों ने ही राहुल गांधी का विरोध किया था जिस कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था.
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि **नोटबंदी बड़ा घोटाला था, जिसे निजी हितों को कालाधन सफेद करने में मदद के लिये घोषित किया गया था.** अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि सारदा चिट फ़ंड जैसा घोटाला करने वाली मुख्यमंत्री किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर रही हैं?
- ममता बनर्जी ने नोटबंदी के बाद चेतावनी दी कि **पीएम तीन दिन के भीतर इस फैसले को वापस लें वर्ना वे देशभर में आंदोलन करेंगी. लेकिन ममता के आंदोलन की ये धमकी फुस्स साबित हुई.** जाहिर है जनता का इन राजनेताओं पर कोई भरोसा नहीं था जिस कारण इनकी हर नकारात्मक रणनीति धराशायी हो गयी.
- नोटबंदी का विरोध करने के लिए इसके अतिरिक्त विपक्ष के पास एक ही रास्ता बचा था संसद नहीं चलने देना और जनता के हितों पर कोई चर्चा नहीं होने का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ देना लेकिन इसमें भी वह असफल रहा. ज्ञातव्य हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष से हमेशा नोटबंदी पर चर्चा की वकालत की लेकिन सदन से पूरा विपक्ष नदारद रहा और सड़कों पर नोटबंदी के असफल होने का दंभ भरता रहा.

जीएसटी का समूचे विपक्ष ने किया विरोध

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुप्रतीक्षित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को संसद से पारित कराने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है. केंद्र सरकार के इस सफल प्रयास की बदौलत अब अप्रत्यक्ष करों के मामले में देश में 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना संभव हो सका है. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिहाज से अगर जीएसटी को देखा जाए तो यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.
- कांगेस के अध्यक्ष जीएसटी को **गब्बर सिंह टैक्स** बताकर जीएसटी का मजाक उड़ाते हैं किन्तु वह भूल रहे हैं कि जीएसटी कर सुधार की दिशा में उठाया गया अबतक का सबसे सराहनीय कदम है और राज्य सरकारों के समर्थन के बाद ही यह स्वीकृत हुआ था जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकारें भी शामिल थीं.
- विपक्षी दलों को जीएसटी भी रास नहीं आया और इसके नकारात्मक विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि **नई कर व्यवस्था मुद्रास्फीति पर असर डालेगी. उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, छोटे और मंझोले कारोबारियों को भारी नुकसान होगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा.**
- कपिल सिब्बल ने भी जीएसटी का विरोध करते हुए ट्वीट किया और कहा– **आधी रात में पूरे तामझाम के साथ जिस जीएसटी को लागू किया गया है वह अमीरों के लिए अमीरों द्वारा बनाई गई अमीरों की व्यवस्था है. इसमें सबका साथ, सबका विकास कहां हैं.**
- तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी जीएसटी का विरोध करते हुए कहा था कि **जीएसटी के रूप में इंस्पेक्टर राज की वापसी हुई है. उन्होंने जीएसटी को मौजूदा रूप में लागू करने पर तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे आजादी और लोकतंत्र के लिए भयानक खतरा है.** वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के विरोधियों का क्या हश्र हो रहा है यह बात किसी से छिपी नहीं है और वहाँ की मुख्यमंत्री को जीएसटी जैसा कर सुधार भी लोकतन्त्र के लिए खतरा लग रहा है तो यह हास्यास्पद है.

राफेल पर कांग्रेस ने देश को किया गुमराह

- राफेल समझौते में कांग्रेस इसलिए भी छटपटा रही है क्योंकि इस सौदे में नेहरू-गांधी परिवार को कमीशन नहीं मिला. गौरतलब है कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त संजय भंडारी की कंपनी आफसेट साल्यूशंस को मोदी सरकार ने 2014 में ही काली सूची में डाल दिया था. संजय भंडारी कांग्रेसी सरकार के दौर में रक्षा सौदों में दलाली करके कमीशन की रकम गांधी परिवार तक पहुंचाता रहा है. यह दर्शाता है कि मोदी सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाने वाली काँग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर सिर्फ भ्रष्टाचार और दलाली को प्राथमिकता देती रही है.

- काँग्रेस के अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि यपीए शासनकाल के दौरान आखिर क्यों राफेल समझौता 10 साल तक लटका रहा जबकि मोदी सरकार में राफेल विमान डील के तहत 3 साल के भीतर ही विमानों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और 2022 तक सभी राफेल विमानों वायुसेना को प्राप्त हो जाएंगे.
- राहुल गांधी राफेल सौदा हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) को नहीं दिए जाने पर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठना चाहिए कि अगर इन्हें वाकई एचएएल की चिंता थी तो 10 साल के अपने शासनकाल में उसके लिए क्यों कुछ नहीं किया गया. जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में वायुसेना के करीब एक लाख विमानों का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है.
- सदन में भी राफेल पर राहुल गांधी ने झूठ बोलते हुए कहा कि 'मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा कि क्या दोनों देशों में कोई सीक्रेट पैक्ट है तो उन्होने भी इससे इनकार कर दिया.'
- संसद में राहुल गांधी के इस बयान पर फ्रांस सरकार ने स्पष्टीकरण दिया और बताया कि भारत व फ्रांस सरकार वर्ष 2008 में किये गये सुरक्षा समझौते के तहत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को गोपनीय रखने के लिहाज से कानूनी तौर पर बाध्य है और यह शर्तें राफेल समझौते पर भी लागू होती हैं.
- लोकसभा में भी राफ़ेल पर चर्चा के दौरान काँग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण के बीच में फोन निकालकर तत्कालीन रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर से जुड़ा एक कथित ऑडियोटेप चलाने की अनमुति मांगी. जिसके बाद लोकसभा स्पीकर समित्रा महाजन ने इस शर्त पर टेप चलाने की अनमुति दी कि राहुल गाँधी इस कथित टेप की सत्यता की पुष्टि लिखित रूप में सदन को दें और यहीं पर काँग्रेस अध्यक्ष का झूठ पकड़ा गया और वह अपनी बात से पलट गए.
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने वायुसेना के प्रमखु बीएस धनोआ पर राफेल पर झूठ बोलने और सच्चाई को दबाने का आरोप लगाया था. ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वायुसेना प्रमुख ने राफेल को वायुसेना के लिए गेमचेंजर बताया था और उनकी राय काँग्रेस से अलग थी.
- कांग्रेसी सरकारों की यह खूबी रही है कि ये सरकारें दलालों के नेटवर्क पर ही चलती रही हैं. इसलिए इनमें घोटाले भी खूब हुए और यदि इन घोटालों की फेहरिस्त बनाई जाए तो लंबी-चौड़ी किताब छप जाएगी. बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, मारुति घोटाला, चारा घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, हवाला कांड, चीनी घोटाला, सत्यम जैसे अनगिनत घोटाले हुए और इन सभी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी रही थी.
- काँग्रेस पार्टी का राफेल पर झूठ सर्वप्रथम उसके वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के राफेल पर भिन्न-भिन्न कीमतों से पकड़ा गया और काँग्रेस के झूठ पर मुहर सुप्रीमकोर्ट ने राफेल पर अपने फैसले में लगा दी.

ओबीसी आयोग संबंधी कानून में निरंतर अड़ंगा लगाता रहा विपक्ष

- देश की राजनीति में आज़ादी के बाद से ही निरंतर पिछड़े समाज व वर्ग के उत्थान की बातें तो बहुत की गईं. लेकिन इसको लेकर कभी कोई नीतिगत फैसला पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नहीं लिया गया. इसके उलट मोदी सरकार ने सत्ता में आने के उपरांत ही गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में अनेक हितकारी निर्णय लिए हैं.
- ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना कार्यभार संभालने के साथ ही यह स्पष्ट करते हुए कहा था कि मेरी सरकार पिछड़े और गरीब वर्ग के प्रति समर्पित भाव से कार्य करेगी. दशकों से अटका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक का लोकसभा द्वारा पारित होना महत्वपूर्ण कदम है. मोदी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर इसमें संशोधन किए हैं. एनडीए सरकार ने राज्यसभा द्वारा भी ओबीसी आयोग के बिल को पास कराने में सफल हुई है.
- 2017 में जब यह विधेयक उच्च सदन में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था उस समय विपक्ष का इसको लेकर नकारात्मक रवैया रहा था और इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यरूप से इसे अटकाने का काम किया था. देखा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मसला कोई आज का नहीं है. सर्वप्रथम इसके संबंध में 1953 में काका केलकर कमीशन, फिर 1978 में मंडल कमीशन ने तत्कालीन कांग्रेसी सरकार को इसपर रिपोर्ट सौंपी थी. लेकिन जवाहरलाल नेहरु से लेकर इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी और यूपीए सरकार तक ने पिछड़े वर्ग के हितों को निरंतर नकारने का काम किया है.
- ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की सरकार रही है हमेशा इस बाबत कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इस विषय में कभी रुचि नहीं दिखाई. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने हितों को सर्वोपरि रखा और जनता के हितों को दरकिनार करते हुए बस अपने वोट बैंक की चिंता की.

संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भंग करते राहुल गाँधी

हर्ष वर्धन त्रिपाठी

मजबूत विपक्ष की जरूरत स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है और इस लिहाज से लम्बे समय से कमजोर विपक्ष का मजबूत विपक्ष में बदलना अच्छा संकेत है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती की आवश्यक शर्तों में लोकतंत्र की संस्थाओं की मजबूती भी है. दरअसल, इसीलिए मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जरूरत होता है जिससे सरकार संस्थाओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न कर सके या फिर उसे कमजोर न कर सके. राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत होता विपक्ष लगातार इस बात का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहा है कि इस सरकार में संस्थाओं को कमजोर, खत्म किया जा रहा है. इसके उदाहरण के तौर पर रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल के ताजा इस्तीफे के अलावा सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों में हुई लड़ाई के सामने आने के बाद दोनों को हटाया जाना और उससे भी पहले सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की प्रेस कांफ्रेंस का हवाला दिया जाता है. हालांकि, रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल के सरकार से मतभेदों के चलते इस्तीफे को छोड़ दें तो दूसरे वाकये दरअसल कुछ दूसरी ही तरफ इशारा कर रहे हैं और वो इशारा है कि विपक्ष ही लगातार संस्थाओं पर भरोसा खत्म करने की मुहिम चला रहा है और कमाल की बात यह भी है कि इसकी भी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही कर रहे हैं.

जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात होगी तो 27 सितम्बर 2013 की तारीख जरूर ध्यान में रखी जाएगी. सरकार के लाए अध्यादेश पर सत्ताधारी पार्टी के ही उपाध्यक्ष ने ही तीखा हमला बोला था. अपराधियों के चुनाव लड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे पलटने वाला अध्यादेश लाया. मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी ने उस अध्यादेश का विरोध किया था और राष्ट्रपति से अध्यादेश को नामंजूर करने की मांग की थी. राहुल गांधी उस समय कांग्रेस उपाध्यक्ष थे. लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भविष्य पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सवाल लग चुका था. अध्यादेश सीधे तौर अपराधी साबित हो चुके लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को बचाने के तौर पर देखा जा रहा था. ऐसे में दिल्ली 1 रायसीना मार्ग पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन की प्रेस कांफ्रेंस में अचानक पहुंचे राहुल गांधी का अध्यादेश फाड़ने को भ्रष्टाचार के खिलाफ एंग्री यंगमैन जैसी छवि के तौर पर देखा गया. कमाल की बात यह रही कि राहुल गांधी ने अपनी सरकार पर हमला बोलते हुए उस समय की विपक्षी पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया. जबकि सच्चाई यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए लाए जा रहे कांग्रेस सरकार के अध्यादेश का विरोध किया था. समझौता राहुल गांधी की सरकार कर रही थी और नायक बनने को कोशिश में राहुल गांधी सभी पार्टियों को ज्ञान दे रहे थे कि भ्रष्टाचार के मसले पर अब राजनीतिक पार्टियों को समझौता नहीं करना चाहिए. भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबी कांग्रेस सरकार के रहते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े एक नौजवान नेता के तौर पर पेश करने की यह पहली बड़ी रणनीतिक कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा तार-तार हो गई. सरकार में रहते राहुल गांधी ने देश के सर्वोच्च सम्मानित पद में से एक प्रधानमंत्री के पद को गजब तरीके से कमजोर कर दिया था. डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह कोई और रीढ़ वाला प्रधानमंत्री होता तो उसी समय इस्तीफा दे देता.

आज राहुल गांधी विपक्ष में हैं. ताजा-ताजा 5 राज्यों के चुनाव में एक छोटा राज्य हारे, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी से सत्ता छीनकर मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं. इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय राफेल सौदे पर अपना फैसला सुनाता है. फैसले में सरकार पर लग रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते सर्वोच्च न्यायालय राफेल पर सभी याचिकाओं को खारिज कर देता है. प्रशांत भूषण, बीजेपी के विद्रोही नेताओं अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की याचिकाएं भी इसमें शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल के बहाने भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की बड़ी कोशिश असफल हो चुकी थी. दरअसल, इन याचिकाओं के खारिज हो जाने से सीबीआई की स्वायत्तता खत्म करने का आरोप भी कमजोर हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने आरोप यह भी लगाया था कि दरअसल सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा राफेल पर जांच करने वाले थे,

इसीलिए सरकार ने उन्हें रातोंरात हटा दिया जबकि सच्चाई यही थी कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को सीवीसी की सिफारिश पर हटाया गया था. सीबीआई के मामले की सुनवाई करते सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि अदालत को सीलबंद लिफाफे में दिए गए दस्तावेज मीडिया में कैसे पहुंच गए. अच्छी बात यही रही कि अब दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं. अब राफेल पर फैसला उन रंजन गोगोई की खंडपीठ ने सुनाया है जो न्यायालय की कार्यप्रणाली पर प्रेस कांफ्रेंस करने वाले 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से थे. उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लाने की बात कांग्रेस ने ही की थी. अभी राफेल के फैसले के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कांफ्रेंस की, उसमें भी सम्वैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार-तार कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रेस कांफ्रेंस में पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और खड़गे का कांग्रेस के नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ प्रेस कांफ्रेंस कना तो ठीक है, लेकिन संसदीय संस्था पीएसी के अध्यक्ष के तौर पर बैठना ठीक तो नहीं ही कहा जाएगा. जिस अन्दाज में राहुल गांधी ने कहा- खड़गे जी बताइए, आपने राफेल पर रिपोर्ट देखी, उससे पीएसी अध्यक्ष के पद की गरिमा खत्म हुई है. मुझे याद नहीं आता कि किसी पार्टी ने सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इस तरह से सवाल उठाया हो.

अब उर्जित पटेल, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ नहीं हैं. उर्जित पटेल रिजर्व बैंक गवर्नर के पद से इस्तीफा दे चुके हैं. उर्जित पटेल को संस्थान के तौर पर रिजर्व बैंक को और मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा, लेकिन इन्हीं उर्जित पटेल पर कांग्रेस शुरू से ही सिर्फ इसलिए आरोप लगाती रही कि उन्हें नरेंद्र मोदी ने नियुक्त किया था. राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार सम्वैधानिक संस्थाओं को इसी तरह से आरोप लगाकर कमजोर करते रहे हैं. जनवरी 2017 में तो कांग्रेस ने उर्जित पटेल पर आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा ही मांग लिया था. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाती ही है. अभी 3 राज्य बीजेपी से छीनने के बाद ये सुर कुछ कमजोर हुए हैं, लेकिन तेलंगाना में केसीआर के सामने हवा हो गए कांग्रेस, टीडीपी और वामपंथी गठजोड़ ने राज्य के निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया है. स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना शुभ होता है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संस्थाओं को कमजोर करके खुद की मजबूती करना चाहते हैं तो ये भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आरोप साबित न कर पाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संस्थाओं पर ही हमला करने लगते हैं. और, राफेल फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़ा करने वाली प्रेस कांफ्रेस में भी राहुल गांधी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने मन की बात की.

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

स्वायत्तता का सवाल: नेहरू और इंदिरा चाहते थे अपनी पसंद का न्यायाधीश

सन्नी कुमार

देश आजाद हो चुका था और विभिन्न संस्थाएं लोकतांत्रिक रूप से पुनर्गठित की जा रही थीं. अंत: न्यायपालिका का भी पुनर्गठन हो रहा था. अब, सवाल ये था कि नई न्यायपालिका कैसे बने, कौन कौन जज हों? इसका निदान यह निकाला गया कि फेडरल कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पुनर्गठित कर दिया जाए. हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं थी कि इस नई नवेली आजाद न्यायपालिका का मुखिया कौन होगा, पर यह अनुमान किया जा रहा था कि अब तक फेडरल कोर्ट का नेतृत्व कर रहे 'हरिलाल जे कानिया' ही इसके मुखिया होंगे.

चीजें अपनी गति से चल रही थीं तभी इसमें एक नया पेंच आ गया. देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका अभी तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने जस्टिस हरिलाल की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कर दी. इस आपत्ति की वजह भी बड़ी दिलचस्प है. दरअसल, नेहरू मद्रास हाई कोर्ट में होने वाली नियुक्तियों से संबंधित एक फाइल देख रहे थे जिसमें जस्टिस हरिलाल जे कानिया ने 'जस्टिस बशीर अहमद' की मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्ति

के विरुद्ध सिफारिश की थी. नेहरू जी को यह आपत्ति इतनी चुभी कि उन्होंने जस्टिस हरिलाल की नियुक्ति को रोकने का ही मन बना लिया.

नेहरू ने जब इसकी चर्चा पटेल से की तो सरदार पटेल ने कहा कि इस तरह का निर्णय इस समय लेने से गलत संदेश जाएगा और टकराव बढ़ेगा. फिर, पटेल और राजाजी ने मिलकर मामले को संभाला. अंततः दोनों लोग अपने-अपने अदालत में नियुक्त हो गए.

इस प्रसंग को विस्तार से पढ़ना हो तो 'लाइव मिंट' पर विक्रम राघवन की ' A collegium of Nehru, Patel and Rajaji'शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ सकते हैं. खैर, बात इतनी भर है कि अपनी क्षमता भर न्यायपालिका में 'दखल' देने का काम नेहरू के ही समय से शुरू हो गया था. इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आज की सारी समस्याओं का दोष नेहरू पर डाल सरकार से प्रश्न करने छोड़ दिए जाएं. बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हम आप उन हस्तक्षेपकारी प्रवृतियों से परिचित हो पाएं जो ऐतिहासिक रूप से चली आ रहीं हैं. तो चलिए, नेहरू का ही एक और किस्सा सुनाते हैं.

"अब एक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल खत्म होने को था और दूसरे मुख्य न्यायाधीश चुने जाने थे. वरीयता क्रम में 'जस्टिस पतंजलि शास्त्री' सबसे ऊपर थे इसलिए उनको ही नेतृत्व मिलना था. पर, नेहरू जी जस्टिस शास्त्री से 'नाराज' थे. उस समय वैसे भी सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सांप सीढ़ी का खेल चल ही रहा था. नेहरू जी नहीं चाहते थे कि जस्टिस शास्त्री अगले मुख्य न्यायाधीश बनें.वो 'जस्टिस एम.सी चागला' या 'जस्टिस बी. एन. मुखर्जी' में से किसी एक को अगले चीफ जस्टिस के रूप में देखना चाहते हैं"

मतलब नेहरू 'अपनी पसंद' का न्यायाधीश चाहते थे. हो सकता है कि इस पसंद में लोक कल्याण का भाव छिपा हो पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने इस लोक कल्याण में कोई रुचि नहीं ली उल्टे यह धमकी दी कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो 'सभी जज' इस्तीफा दे देंगे. नेहरू अपनी पसंद के लिए इतना भी टकराव नहीं चाहते थे ,सो शास्त्री जी ही अगले चीफ जस्टिस बने. यह प्रसंग अगर आप एकदम विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो Prof. Godbois की किताब 'The judges of the Supreme Court' पढ़िये. कुछ और ज्ञान मिलेगा.

नेहरू दो बार असफल प्रयास कर चुके थे मुख्य न्यायाधीश बदलने की. उनकी पुत्री 'इंदिरा गांधी' ये सब देख रही थीं. उनको शायद बुरा लग रहा होगा कि ऐसा हो क्यों नहीं पाया. तो जब वो प्रधानमंत्री बनीं तो पिता के इस अधूरे ख्वाब को पूरा किया.

इंदिरा मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के पूर्व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थीं. पिता-पुत्री की जोड़ी साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों में रुचि ले रही थी. इसी दौरान, केरल में गैर -कॉन्ग्रेसी सरकार चुनी गई. ई. एस. नंबूदीरिपाद' के नेतृत्व में वामपंथी सरकार केरल में बनी. यह भारत में पहली लोकतांत्रिक वामपंथी सरकार थी. वही वामपंथ जो 'ख्रुश्चेव' से पूछकर ही भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुए थे अन्यथा उन्हें तो आजादी झूठी लग रही थी.

खैर, सरकार बनी तो सही पर अधिक चल नहीं पाई. पिता-पुत्री की जोड़ी ने इस सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया. निश्चित रूप से कुछ वजहें रही होंगी, ये वजहें और उन वजहों के पीछे की असली वजहें कॉन्ग्रेसी

और वामपंथी ही बेहतर बता पाएंगे. पूछिये उनसे. बहरहाल, आते हैं पिता के अधूरे सपने को पूरा करने पर.

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के चयन को लेकर वरिष्ठता का नियम ही चल रहा था. अर्थात् सबसे वरिष्ठ जज मुख्य न्यायाधीश बन रहे थे. पर, इंदिरा गांधी ने इस क्रम को तोड़ दिया. समय था 1973 का. यानी आपातकाल नहीं था कि सारा दोष 'समय ही खराब था' पर डाल दें. हां, आपातकाल की आहट जरूर थी.

खैर, 1973 में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए 'ए. एन. रे' जबकि उनसे सीनियर तीन न्यायाधीश 'जे. एम. शेलट', 'के. एस. हेगड़े' और 'ए. एन. ग्रोवर' मौजूद थे. लेकिन इन तीनों वरिष्ठों से इंदिरा गांधी 'नाराज' थीं. और नाराजगी की वजह क्या थी?

वजह थी 'केशवानंद भारती' का मामला. 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का निर्णय आया और सर्वोच्च न्यायालय ने 7:6 के बहुमत से यह तय किया कि संविधान संशोधन की संसद को प्राप्त शक्ति 'असीमित' नहीं है. अर्थात संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है पर उसको 'मूल ढाँचे' के विरुद्ध नहीं होना चाहिए. और ये मूल ढाँचा क्या है इसको सर्वोच्च न्यायालय बताएगी. इंदिरा जी को यह 'सीमा' पसंद नहीं आई. इसलिए इस निर्णय के पक्ष में रहने वाले तीनों वरिष्ठ जजों की अनदेखी कर जस्टिस रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया.

जस्टिस रे जब मुख्य न्यायाधीश बने तो आपातकाल के दौरान तक बने रहे. 1977 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में 'जस्टिस हंसराज खन्ना' को बनना था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ जज वही थे. पर, फिर वही बात थी कि जस्टिस खन्ना इंदिरा जी की पसंद नहीं थे इसलिए 'जस्टिस हमीदुल्ला बेग' मुख्य न्यायाधीश बनाए गए.

आखिर इंदिरा इस बार क्यों नाराज थीं? दरअसल, आपातकाल लग चुका था देश में. 'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' जैसा 'बरूआई नारा' लगाया जाने लगा था. जाहिर है ऐसे में आम आदमी की कीमत कुछ नहीं थी. इसी आम आदमी से जुड़ा एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया जिसे 'एडीएम जबलपुर मामले' के रूप में चर्चित है. यह हेबियस कॉर्पस से जुड़ा मामला था. मोटा मोटी समझिए कि इस मामले में यह तय करना था कि आपातकाल में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है या नहीं?

सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से कहा कि नहीं. आपातकाल में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है. पर, जस्टिस खन्ना ने विसम्मत निर्णय देते हुए कहा था कि आपातकाल में भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते. बस इसी 'अवज्ञा' से नाराज थीं इंदिरा गांधी. और उचित समय आने पर दंड भी दिया, जस्टिस खन्ना को. बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित नियम ही बना दिया कि वरिष्ठता के हिसाब से ही मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होगा ताकि किसी इंदिरा गांधी की 'नाराजगी' का असर न पड़े.

पूरी चर्चा का सार इतना ही है कि जब हम संस्थाओं पर हमले की बात करते हैं और उसका पूरा 'श्रेय' किसी एक दल या व्यक्ति को देते हैं तो ऐसा करना उन पूर्वजों का हक मारना होगा जिन्होंने इसकी नींव रखी थी. सो उनको भी याद करते रहिये.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं)

अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोकतान्त्रिक व्यवस्था को चोट पहुँचा रही कांग्रेस!

आदर्श तिवारी

सात विपक्षी दलों द्वारा मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ़ दिए गए महाभियोग नोटिस को उपराष्ट्रपति ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार और कल्पना पर आधारित हैं. उपराष्ट्रपति की यह तल्ख़ टिप्पणी, यह बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस

ने किस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए महाभियोग जैसे अति-गंभीर विषय पर अगम्भीरता दिखाई है.

महाभियोग को अस्वीकार करने की 22 वजहें उपराष्ट्रपति ने बताई हैं. दस पेज के इस फ़ैसले में उपराष्ट्रपति ने कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी दिए हैं. पहला, सभी पांचो आरोपों पर गौर करने के बाद ये पाया गया कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, ऐसे में महाभियोग के लिए यह आरोप स्वीकार नहीं किये जायेंगे. दूसरा, रोस्टर बंटवारा भी मुख्य न्यायधीश का अधिकार है और वह मास्टर ऑफ़ रोस्टर होते हैं. इस तरह के आरोपों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचती है.

तीसरा, इस तरह के प्रस्ताव के लिए एक संसदीय परंपरा है. राज्यसभा के सदस्यों की हैंडबुक के पैराग्राफ 2.2 में इसका उल्लेख है, जिसके तहत इस तरह के नोटिस को पब्लिक करने की अनुमति नहीं है, किन्तु सदस्यों ने इसका भी ख्याल नहीं रखा और नोटिस देने के तुरंत बाद प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कंटेंट को साझा किया जो कि संसदीय परंपरा के विरूद्ध था. नोटिस देने वाले सांसद खुद भी अनिश्चित हैं, जो उनके संदेह, अनुमान और मान्यताएं जैसे शब्दों के प्रयोग से मालूम होता है. इस तरह उपराष्ट्रपति ने महाभियोग नोटिस को खारिज़ करने से पहले ऐसे ही 22 तर्कपूर्ण कारण बताए हैं.अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने देश के मुख्य न्यायाधीश पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जाँच कर, पर्याप्त प्रमाण क्यों नही जुटाए? इससे शक की गुंजाइश बढ़ जाती है कि कांग्रेस जानबूझकर न्यायपालिका की साख को धूमिल कर रही है. उपराष्ट्रपति के तर्कों को समझने के बाद सहजता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस महाभियोग के बहाने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का विफ़ल प्रयास कर रही है.

ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति ने बहुत जल्दबाजी में अथवा केवल अपने विवेक के आधार पर महाभियोग नोटिस को अस्वीकार करने का निर्णय लिया हो. उपराष्ट्रपति ने कानूनविदों, राज्यसभा और लोकसभा के पूर्व महासचिवों, पूर्व विधि अधिकारियों और विधि आयोग के सदस्यों समेत प्राख्यात न्यायविदों से चर्चा और विमर्श कर मुद्दे की गंभीरता को समझने के बाद ही यह निणर्य लिया है.

जैसे ही यह फ़ैसला आया, कांग्रेस ने बिना देर लगाए उपराष्ट्रपति के निर्णय को अवैध करार दे दिया और इस फ़ैसले के खिलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कह डाली. यह हास्यास्पद है कि जो कांग्रेस न्यायपालिका पर भरोसा नहीं कर रही और उसकी साख पर चोट पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है, फिर उसी न्यायपालिका की शरण में जाने की बात भी कर रही है. यह न्यायपालिका का मजाक बनाने जैसा ही है.

कांग्रेस का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया और घातकीय प्रवृत्ति देश की लोकतंत्रिक प्रणाली को किस कदर नुकसान पहुँचाने वाली है, इसका अंदाज़ा शायद कांग्रेस को नहीं है. इसमें कोई दोराय नहीं कि कांग्रेस इस समय अपने आस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रही है. ऐसे में, वह अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर, किसी भी ढंग से जाने से हिचक नहीं

रही है. सरकार और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के एकमात्र लक्ष्य को हांसिल करने के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता अख्तियार किया है, वह लोकतांत्रिक प्रणाली में अस्वीकार्य है. इसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा.

कांग्रेस को सत्ता से गये अभी कुछ साल ही हुए हैं, किन्तु जिस तरह से वो तिलमिलाई नजर आ रही है, उससे यह अंजादा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सब कुछ अपने अनुसार चाहती है, जिसकी वह अभ्यस्त भी रही है; लेकिन, अब उसके अधिकार सिमट कर रह गए हैं. जनता हर चुनाव में कांग्रेस को खारिज़ कर रही है. चुनाव में मिल रही हार के अलावा जिस तरह से "हिन्दू आतंकवाद', 'राम काल्पनिक हैं', माले गावं ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, तीन तलाक, जस्टिस लोया जैसे मामलों में कांग्रेस की जो वैचारिक हार हुई है, वह कांग्रेस की छटपटाहट और बौखलाहट का मुख्य कारण है.

कांग्रेस को यह प्रतीत होने लगा है कि उसके राजनीतिक वजूद पर संकट गहराता जा रहा है. अप्रासंगिकता के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने जब यह देखा कि चुनाव आयोग समेत कई स्वायत्त संस्थाओं पर हमले के बावजूद उसकों पराजय का सामना करना पड़ रहा है, तो उसनें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लाकर अपनी वैचारिक हार का बदला लेने का कुत्सित प्रयास किया. कांग्रेस को इस बात की भी जानकारी है कि दीपक मिश्रा चंद महीनों में रिटायर होने वालें है, किन्तु इसी बीच कई अहम फैसलों की सुनवाई उनकी बेंच को करना है. इनमें राम मंदिर मामले की सुनवाई सबसे प्रमुख है.

गौरलतब है कि इस केस की सुनवाई टालने की बेतुकी दलील पर मुख्य न्यायधीश ने कपिल सिब्बल को कड़ी फटकार लगाई थी. दूसरा सबसे अहम मामला राजनीतिक सुधार को लेकर है. इसके साथ–साथ सांसदों–विधायकों के न्यायालय में प्रेक्टिस करने पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई भी मुख्य न्यायधीश की बेंच को करना है. संयोगवश यह तीनों मामले कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं. इससे कांग्रेस घबराई हुई है. परिणामस्वरूप, वह इस तरह के रास्ते को चुनकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के साथ–साथ अपने राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति करने की कोशिश भी कर रही है.

जिस तरह से कांग्रेस अपने मनमाफिक परिणाम नहीं आने पर हर संवैधानिक संस्था और पद की विश्वसनीयता को चोट पहुंचा रही है, वह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. कड़ी दर कड़ी समझें तो चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रिजर्व बैंक और अंत में सबसे स्वतंत्र और लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस की वैचारिक दशा-दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. कांग्रेस द्वारा इस तरह के राजनीतिक दुष्प्रयोग आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसी कुप्रथा की शुरुआत कर रहे, जो समय–समय पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करने वाली होगी. महाभियोग पर कांग्रेस के महाप्रलाप ने उसके इतिहास के पन्नों में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

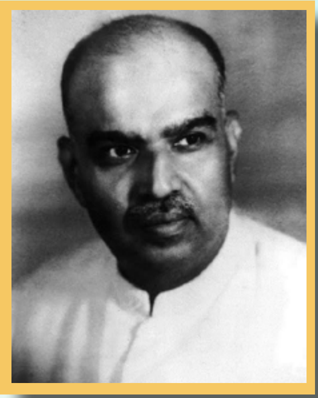

"The dream, of an Indian nationhood which would comprise within itself men and women professing different religion, who regard India as their common motherland, had fired the imagination of generations of political thinkers and workers in this country. I believe that its consummation, if ever be achieved, will be all to the good of our country."

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
Mahakosala Provincial Hindu Sabha Conference,
Raipur, 7th December, 1940

Published By:
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
9, Ashoka Road New Delhi - 110001
E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850